भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 4797
(जिसका उत्तर शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2018/2 चैत्र 1940 (शक) को दिया जाना है)

आधार को बैंक खातों से जोड़ना

4797. श्री संतोष कुमारः
श्री अरविंद सावंतः
श्री हरि ओम पाण्डेयः
डॉ० रत्ना डे (नाग)
श्री कृपाल बालाजी तुमानेः
श्री मनोज तिवारीः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमों के अंतर्गत नियमों का निर्माण करने वाली शक्तियां अभिप्रेरित करके 31 मार्च, 2018 तक वर्तमान बैंक खातों और नए खोले जाने वाले बैंक खातों हेतु आधार को अनिवार्य बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह कार्यप्रणाली नियम बनाने वाली शक्तियों पर प्रश्न खड़ा करती है जिससे प्रत्येक भारतीय नागरिक की मर्यादा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रावधान से उन वरिष्ठ नागरिकों विशेषकर अति वरिष्ठ नागरिकों की जमापूंजी प्रभावित होगी जिन्हें बायोमैट्रिक प्रमाणन के समय संभावित विफलता का सामना करना पड़ता और जो उनके लिए असहनीय/असंभव अनुपालनीय बोझ होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें वित्तीय, निधि और आजीविका अधिकारों संबंधी संकट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का खाता संख्या से आधार जोड़ने की समय-सीमा 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में उक्त कदम किस प्रकार वित्तीय समावेशन में वृद्धि करेगा?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क): केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 13.12.2017 की अधिसूचना के माध्यम से 31 मार्च, 2018 अथवा ग्राहक द्वारा खाता आधारित संबंध की शुरुआत करने की तिथि से 6 माह, जो भी बाद में हो, को ग्राहक द्वारा रिपोर्टिंग संस्था को अपनी आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या अथवा प्रपत्र 60 प्रस्तुत करने की तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(ख): जी, नहीं।

(ग): सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आधार संख्या को बैंक खातों से जोड़ने के संबंध में छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ): रिट याचिका (सिविल) संख्या 494/2012 में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.03.2018 को आदेश दिया है कि आधार को नये बैंक खातों से जोड़ने की प्रक्रिया को पूर्ण करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2018 से तब तक बढ़ा दिया जाए जब तक मामले पर अंतिम रूप से सुनवाई और निर्णय की घोषणा न हो जाए।

(ड.): 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनमें उनके प्रायोजक बैंक (प्रादेशिक ग्रामीण बैंक) शामिल हैं, और 24 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 10,989.07 लाख प्रचालित चालू बैंक खाते और बचत बैंक खाते (सीएएसए) (छोटे खातों और असम, मेघालय और जम्मू एवं कश्मीर के राज्यों में खातों को छोड़कर) हैं, जिनमें से 8,865.02 लाख बैंक खातों में आधार को जोड़ा गया है।

*****